

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक, एफ 5-3/2006/1/3

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, खालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश।

विषय:- दैनिक वेतनभोगी / अस्थायी कर्मचारियों का नियमितीकरण।

रान्दर्भ:- सा.प्र.विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ 5-3/2006/1/3, दिनांक 16 मई, 2007, एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 08.2.2008, 06.09.2008

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. अपील (सिविल) 3595-3612/1999 सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरुद्ध उमादेवी एवं अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 10 अप्रैल, 2006 के आधार पर संदर्भित ज्ञापनों द्वारा दैनिक वेतन भोगी अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। संदर्भित मूल परिपत्र दिनांक 16 मई, 2007 की कण्ठिका-5.1 में यह प्रावधान है कि ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो 10 वर्ष से अधिक से निरंतर सेवारत है किन्तु इनमें ऐसे व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जावें, जो न्यायालय / न्यायिक अधिकरण के आदेश से कार्यरत हो।

इसी प्रकार कण्ठिका 5(5) नियमितीकरण नियमानुसार स्वीकृत नियमित पद, जिस वर्ग के लिए रिक्त हैं एवं जिसके विरुद्ध उसी संवर्ग का दैनिक वेतन भोगी एवं अस्थाई कर्मचारी जो 10 वर्ष या अधिक से कार्यरत है, को नियमित करने का प्रावधान है।

2- राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 16 मई, 2007 की कण्ठिका 5.1 एवं कण्ठिका 5.5 में मूल प्रावधानों के बाद निम्नानुसार परन्तुक जोड़ा जावे:-

- (1) कण्ठिका 5.1 - "परन्तु जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5-4/69-1/वेआप्र/2000, दिनांक 14 फरवरी, 2000 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26 फरवरी, 2000 के विरुद्ध न्यायालय / न्यायाधिकरण के आदेश / स्थगन के आधार पर कार्यरत हैं,

उन्हें नियमितीकरण की कार्यवाही में शामिल किया जाएगा, बशर्ते विभाग द्वारा न्यायालय/न्यायाधिकरण के संबंधित आदेशों को अंतिम रूप से मान लिया गया है एवं प्रश्नाधीन आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील आदि की कार्यवाही लंबित नहीं हो।"

- (2) कण्डिका 5.5 – "परन्तु दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिस पद/संवर्ग में कार्यरत और उस संवर्ग का पद रिक्त न होकर अन्य कोई समकक्ष पद रिक्त हैं और वह दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी उस रिक्त पद की निर्धारित योग्यता धारण करता है तो उस समकक्ष रिक्त पद पर नियमितीकरण की कार्यवाही की जाए।"

3— कृपया उपरोक्तानुसार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में कार्यवाई सुनिश्चित करें।



(आर.के. गजभिये)

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां० क, एफ ५-३/२००६/१/३

भोपाल, दिनांक २९ सितम्बर, २०१४

प्रतिलिपि:-

- (1) रजिस्टर जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर
- (2) सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल
- (3) सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर
- (4) महानिदेशक प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल
- (5) राज्यपाल के सचिव, मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल
- (6) प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
- (7) प्रमुख सचिव / सचिव, मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री सचिवालय मध्य प्रदेश
- (8) मंत्री / राज्य मंत्रीगण के निज सचिव / निज सहायक, म०प्र० भोपाल
- (9) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश, भोपाल
- (10) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
- (11) अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल
- (12) महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ
इन्दौर / ग्वालियर / जबलपुर

- (13) महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
- (14) प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय
- (15) उप सचिव / अवर सचिव, स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी
मध्यप्रदेश, मंत्रालय, भोपाल
- (16) मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय भोपाल
- (17) आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
- (18) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल
- (19) अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
- (20) अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल।


 (आर.के. गजभिये)
 उप सचिव
 मध्य प्रदेश शासन
 सामान्य प्रशासन विभाग